

17-5-22

पलायली पेश इई। ककाल पङ्क नारायण उपाध्याय
वादी का नाद अन्तर्गत धारा 88 क 188 रा. से. ऐ. 0
स्वीकार किया गया निर्वाय पृथक् से टंकित कराया
जाकर टाईमिंग माईल किया गया। पलायली
जो सहे शुमार होना नम्बर से काम होकर दाखिल
दफ्तर किया जाने। निर्वाय लुने सामान्य में
सुनाया गया।

